



सेवादाता प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास
परिषद
(अनुरक्षण अनुभाग)
104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।



दिनांक

संख्या

/अनु0अनु0/

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से निम्न कार्य हेतु निविदाये अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से एकल बिड प्रकृति पर ई-टेंडर के अन्तर्गत वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्न समय सारणी के अनुसार आमंत्रित की जाती है, जो निर्धारित तिथि को उसी दिन कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मक्ष खोली जायेगी। निविदा खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने पर निविदाये अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (रु० में)	कार्य की अवधि
अ	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ स्थित मुख्यालय परिसर की प्रतिदिन साफ-सफाई का कार्य। (12 माह हेतु) ए-ब्लाक, इंदिरा नगर, लखनऊ स्थित कन्वेंशन सेंटर की प्रतिदिन साफ-सफाई का कार्य। (12 माह हेतु) स्वर्ण जयंती पार्क, सेक्टर-25, इंदिरा नगर, लखनऊ की प्रतिदिन साफ-सफाई का कार्य। (12 माह हेतु)	रु० 32.80 लाख	रु० 3.28 लाख	1500+18 %जी०एस०टी०	एक वर्ष
ब	स्वर्ण जयंती पार्क, सेक्टर-25, इंदिरा नगर, लखनऊ में निर्मित वाहन पार्किंग स्थल का ठेका / नीलामी।	रु० 3.27 लाख	रु० 0.33 लाख	500+18 %जी०एस०टी०	एक वर्ष
स	स्वर्ण जयंती पार्क, सेक्टर-25, इंदिरा नगर, लखनऊ में सर्विस लेन पर स्थित कियोस्क नो-1 को किराये पर संचालन किये जाने का कार्य।	रु० 8400.00 प्रतिमाह	रु० 0.30 लाख	500+18 %जी०एस०टी०	तीन वर्ष

निविदाओं से सम्बंधित विवरण :-

(i)	ई-निविदा आमन्त्रण सूचना के ऑनलाईन प्रकाशन की तिथि	दिनांक 31.10.2025
(ii)	निविदा प्रपत्र डाउनलोड प्रारम्भ करने की तिथि व समय	दिनांक 05.11.2025 अपरान्ह 4:00 बजे से
(iii)	प्री-बिड मीटिंग एवं कार्यस्थल के निरीक्षण की तिथि	दिनांक 12.11.2025 अपरान्ह 3:00 बजे (कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण अनुभाग, मुख्यालय)
(iv)	बिड अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	दिनांक 21.11.2025 अपरान्ह 04:00 बजे तक
(v)	निविदा खोलने की तिथि समय व स्थान	दिनांक 24.11.2025 समय 01:00 अपरान्ह अनुरक्षण अनुभाग, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
(vi)	धरोहर धनराशि को आर०टी०जी०एस० से जमा करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 20.11.2025 समय 4:00 बजे अपरान्ह
(vii)	निविदा प्रपत्र का मूल्य को आर०टी०जी०एस० से जमा करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 20.11.2025 समय 4:00 बजे अपरान्ह
(viii)	कार्य की मात्रा	बी०ओ०क्यू० के अनुसार

[Signature]
AF.

1. निविदा की दरों की वैधता तीन माह की होगी, जिसके लिये निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार ₹100.00 के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर ₹1.00 का रेवेन्यू स्टाम्प चिपका कर एवं हस्ताक्षर कर वैधता हेतु सहमति देनी होगी।
2. समस्त अथवा किसी भी निविदा को अपरिहार्य कारणवश निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है, जिसके लिए किसी फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
3. बीओबीबीबीबी की दरों में जीओएसटीओ को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं। जीओएसटीओ नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी तथा आयकर, जीओएसटीओ टीओजीओएसओ एवं लेबर सेस व अन्य कर की कटौती नियमानुसार प्रत्येक देयक से की जायेगी।
4. निविदादाता द्वारा निविदा प्रोसेसिंग भुलक मात्र RTGS/NEFT के माध्यम से Executive Engineer, Maintenance, U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Lucknow के Indian Overseas Bank, Raj Bhavan Branch, Lucknow के खाता सं०-192201000012900 एवं IFSC Code - IOBA0001922 में जमा कराई जायेगी, जो कि निर्धारित तिथि व समय से पूर्व ही जमा करानी होगी। RTGS /NEFT की रसीद की छायाप्रति निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
5. परिषद में पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों द्वारा जमा की गई जनरल सिक्योरिटी एवं निविदा में वांछित धरोहर धनराशि के विरुद्ध अवशेष अन्तर धनराशि /धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से Executive Engineer, Maintenance, U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Lucknow के Indian Overseas Bank, Raj Bhavan Branch, Lucknow के खाता सं०-192201000012900 एवं IFSC Code - IOBA0001922 में निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व ही जमा करानी होगी।
6. निविदादाता द्वारा निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से जमा करने की स्थिति में RTGS/NEFT की रसीद की छायाप्रति निविदा के साथ अपलोड न करने की दशा में निविदा सील कर दी जायेगी।
7. अनुबंध गठन के समय प्रभावी नवीनतम शासनादेशानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
8. सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. कार्य उओप्रओ आवास एवं विकास परिषद की विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित कराया जायेगा।
10. किसी भी कारण से कार्य की मात्रा किसी भी सीमा तक कम या अधिक हो सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
11. निविदा स्वीकृति के उपरान्त 7 दिनों के अन्दर फर्म/ठेकेदार को अनुबंध गठित कराना होगा, अन्यथा निविदा निरस्त करते हुए जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
12. निविदादाता की निविदा स्वीकृति/अनुबंध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि संबंधित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्य एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके पक्ष में गठित अनुबंध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
13. निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट www.upavp.in के निविदा लिंक पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाइटों को देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
14. शासनादेश सं०-622/23-12-2012-2/ऑडिट/08 टीओसीओ दिनांक 08.06.2012 के अनुपालन में बिलो (Below) निविदा स्वीकृत होने पर 10 प्रतिशत बिलो (Below) तक 0.50 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below) दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारन्टी एफ.डी.आर./सी.डी.आर. के रूप में जो कार्य की वास्तविक समापन तिथि तक वैध हो (समयवृद्धि प्रदान किये जाने की दशा में भी) अनुबंध गठन से पूर्व देनी होगी, जो कार्य के अन्तिम बीजक होने के बाद वापस होगी।
15. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबंध गठन के पश्चात होती है, अनुबंध उसी समय निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुये काली सूची में डाला जायेगा।
16. निविदा में भाग लेने वाली फर्मों को निविदा से सम्बन्धित वांछित सभी प्रपत्रों को निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
17. निविदा डालने से पूर्व ठेकेदार/फर्म को कार्य स्थल का निरीक्षण कार्य की प्रकृति एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्ण अध्ययन करने की अपेक्षा की जाती है। इस सम्बन्ध में बाद में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
18. फर्म/ठेकेदार को विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. निविदा की दरें अंकों व शब्दों में अंकित की जाये। अस्पष्टता की स्थिति में जो दरें कम होंगी, वही मान्य होगी।
20. साफ-सफाई सम्बन्धी कार्यों को सुचारु रूप से संपादित न किये जाने के दृष्टिगत 01 माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करते हुये सिक्योरिटी धनराशि एवं परफारमेन्स सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी।


AE

21. ई-निविदा के साथ निविदादाता को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिनके अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा सील कर दी जायेगी।

(अ) सफाई कार्य हेतु संस्तरन किये जाने वाले प्रपत्र:-

फर्म का पैन कार्ड।

अनुभव प्रमाण-पत्र। (कार्यदेशों की प्रति मान्य नहीं होगी)

फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

फर्म का व्षिक विभाग में वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत वैध चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र।

विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न।

T&P संबंधी शपथ पत्र।

ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 में वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र।

22. यदि किन्हीं कारणवश कन्वेंशन सेंटर इंदिरानगर, स्वर्ण जयन्ती स्मृति विहार पार्क, इन्दिरा नगर, जिसकी प्रतिदिन सफाई कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है, को लीज पर दिया जाता है, या नगर निगम को हस्तान्तरित किया जाता है तो उस दशा में कार्य स्थगित कर दिया जायेगा एवं तद्दिनांक तक का भुगतान सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को किया जायेगा एवं कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
23. ठेकेदार/फर्म की लापरवाही के कारण कार्यस्थल पर हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी। परिषद द्वारा कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी तथा ठेकेदार / फर्म से वसूली की जायेगी।
24. सफाई-सफाई एवं सुरक्षा कार्य हेतु ठेकेदार/एजेन्सी को सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/परिषद संस्थान में 3। मार्च 2025 तक पिछले 07 वर्षों में निम्नानुसार अनुभव होना आवश्यक है जिसमें:-

- (1) तीन कार्य जिसमें प्रत्येक कार्य की कुल लागत जो कि निविदा लागत का 40 प्रतिशत से कम न हो।
- (2) दो कार्य जिसमें प्रत्येक कार्य की कुल लागत जो कि निविदा लागत का 50 प्रतिशत से कम न हो।
- (3) एक कार्य जिसमें प्रत्येक कार्य की कुल लागत जो कि निविदा लागत का 80 प्रतिशत से कम न हो।

25. सफाई कार्य में लगे लेबर के वेतन आदि के किसी भी विवाद हेतु ठेकेदार फर्म ही जिम्मेदार होगी।

26. पार्किंग के ठेका / नीलामी हेतु विशेष नियम व शर्त:-

- (i) पार्क खुलने के निर्धारित समयानुसार ही पार्किंग में वाहन का खड़ा किया जाना अनुमन्य होगा एवं पार्क खुलने एवं बन्द होने का समय परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। पार्किंग शुल्क लेने की व्यवस्था खुलने व पार्क बन्द होने के समय तक के लिए अनुमन्य होगी।
- (ii) नीलामी प्राप्त करने वाले ठेकेदार को अपने स्तर पर वाहनों की पार्किंग हेतु टोकन वितरण, वाहन की सुरक्षा, वाहन चोरी होने पर पुलिस स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करनी होगी। वाहन चोरी होने पर परिषद की कोई जिम्मेदारी एवं देनदारी नहीं होगी।
- (iii) पार्किंग स्थल पर सुचारु रूप से व्यवस्था चलाने हेतु पर्याप्त मैन पावर ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।
- (iv) ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर पार्किंग स्थल पर एक बोर्ड लगवाना होगा जिस पर वाहन पार्किंग आदि की दरें अंकित होंगी।
- (v) साइकिल, दो पहिया व चार पहिया वाहनों हेतु अधिकतम किराया क्रमशः ₹0 5.00, ₹0 10.00 व ₹0 20.00 प्रति पाली ही अनुमन्य होगा। दो पहिया वाहनों व चार पहिया वाहनों हेतु अधिकतम मासिक किराया ₹0 150.00 व ₹0 300.00 अनुमन्य होगा।
- (vi) परिषद कर्मियों को पार्किंग के निर्धारित किराया की धनराशि में 50 प्रतिशत की छूट देय होगी।
- (vii) अनुबन्ध निष्पादन से पूर्व उच्चतम बोलीदाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं निवास प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (viii) ठेकेदार को उच्चतम बोली की 50 प्रतिशत धनराशि (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त) स्वीकृति आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त) तीन माह के अन्दर जमा करनी होगी अन्यथा धरोहर / जमानत धनराशि जब्त करते हुए स्वीकृत आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। धरोहर धनराशि एक वर्ष के लिए अनुरक्षण अनुभाग में जमा रहेगी। जिसे अवशेष देयता रहने की दशा में समायोजित / जब्त कर लिया जायेगा।
- (ix) उच्चतम बोलीदाता ठेकेदार के पक्ष में स्वीकृति पत्र निर्गत उपरान्त धनराशि जमा करने पर 10 दिन के अन्दर अनुबन्ध निष्पादित कराने के उपरान्त ही पार्किंग स्थल का भौतिक कब्जा दिया जायेगा, अन्यथा स्वीकृति निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- (x) शर्तों एवं अनुबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में आवास आयुक्त (म0) का निर्णय अंतिम होगा।

Prerna
AE

27. कियोस्क हेतु विशेष नियम व शर्तें:-

- (i) स्वर्ण जयन्ती स्मृति विहार पार्क, इन्दिरा नगर, लखनऊ के गेट नं०-1 के पास वाले कियोस्क का प्रयोग किसी भी वाणिज्यिक उपयोग के लिए किया जा सकता है परन्तु उक्त उपयोग विषयक प्रतिपादित नियमों तथा समय-समय पर शासन / प्रशासन / परिषद से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ii) उच्चतम बोलीदाता को प्रति वर्ष 7 प्रतिशत या शासनादेश के अनुरूप किराये में बढौतरी तीन वर्षों तक लागू की जायेगी, तदोपरान्त तत्समय नये तरीके से नीलामी की जायेगी।
- (iii) कियोस्क पर धूमपान, मादक पदार्थ एवं मीठ शाय इत्यादि वस्तुओं की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबन्ध होगा।
- (iv) कियोस्क के बाहर अवैध रूप से भीड़ एकत्र नहीं होगी और न ही एक साथ कई गाड़ियां खड़ी होंगी। कोविड-19 तथा शासन / सरकार द्वारा समय - समय पर जारी शर्तों, दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (v) कियोस्क के बाहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी किरायेदार की होगी।
- (vi) किरायेदार द्वारा कियोस्क के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं सबलेट नहीं किया जायेगा।
- (vii) कियोस्क का अनुरक्षण किरायेदार द्वारा अपने व्यय पर कराया जायेगा। अनुरक्षण करते समय कियोस्क का स्वरूप पूर्व की भाँति रखना होगा।
- (viii) स्वर्ण जयन्ती स्मृति विहार पार्क इन्दिरा नगर स्थिति कियोस्क का किराया अग्रिम के रूप में प्रत्येक माह की 07 तारीख तक अनुरक्षण अनुभाग, के खाते में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा बकाया धनराशि पर 18 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा।
- (ix) किरायेदार द्वारा कियोस्क का विद्युत व्यय उसमें लगाये गये सबमीटर के अनुसार वास्तविक उपयोग के आधार पर परिषद को देय होगा।
- (x) परिषद द्वारा पार्क के संचालन हेतु समय-समय पर जारी किये गये / किये जाने वाले समस्त दिशा निर्देश किरायेदार को मान्य होंगे।
- (xi) उपरोक्त शर्तों एवं अनुबन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद होने की दशा में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम होगा।
- (xii) किरायेदार द्वारा कियोस्क का सही उपयोग न करने की दशा में कियोस्क का कब्जा 01 माह की नोटिस देते हुए वापस लेने का अधिकार परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xiii) उच्चतम बोलीदाता किरायेदार के पक्ष में स्वीकृति उपरान्त 10 दिन के अन्दर अनुबन्ध निष्पादित कराने के उपरान्त ही भौतिक कब्जा दिया जायेगा, अन्यथा स्वीकृति निरस्त करते हुए धरोहर / जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- (xiv) अनुबन्ध निष्पादन से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं निवास प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (xv) धरोहर / जमानत धनराशि तीन वर्ष के लिए अनुरक्षण अनुभाग में जमा रहेगी तथा अवशेष देयता होने की दशा में समायोजित / जब्त कर ली जायेगी।

भवदीय

(समर उपाध्याय)

अधिशाली अभियन्ता (अनुरक्षण)

दिनांक 30/10/25

पृ०सं०

812

/ उक्त /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रचार-प्रसार हेतु।

1. आवास आयुक्त(म०) के निजी सचिव को आवास आयुक्त(म०) के अवलोकनार्थ।
2. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव(म०) को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियन्ता(प्र०), अधीक्षण अभियन्ता(मु), लखनऊ वृत्त, अवध विहार वृत्त, एवं वृन्दावन वृत्त, लखनऊ।
4. अधिशाली अभियन्ता, नि०ख०-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 लखनऊ।
5. इंचार्ज कम्प्यूटर सेल, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, अनुरक्षण अनुभाग, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
7. सहायक लेखाधिकारी, अनुरक्षण अनुभाग, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
8. नोटिस बोर्ड।

अधिशाली अभियन्ता (अनुरक्षण)